

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Interim Bail Appli. No. 162/2026

Goverdhan S/o Madan Lal Jat, Aged About 30 Years, R/o
Bhawarkiya Ps Kapasan Dist Chittorgarh Rajasthan (At Present
Lodged In Dist Jail Chittorgarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Thorough Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Suresh Kumar
For Respondent(s)	: Mrs. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

18/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत पुलिस थाना **निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**458/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **8/15 NDPS** एक्ट में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त की माता श्रीमती श्यामु बाई बीमारी से ग्रसित है और परिवार में वृद्ध पिता के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष सदस्य प्रार्थी/अभियुक्त की माता के इलाज की देखभाल करने हेतु उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को एक माह के लिए अन्तरिम जमानत की सुविधा प्रदान की जावे।

इस संबंध में विद्वान लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना के लिए तथ्यात्मक रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ दिनांक 17.03.2026 प्रस्तुत की गई है जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

बहस सुनी गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों एवं वितर्कों पर मनन किया।

तथ्यात्मक रिपोर्ट में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त की माता श्यामु बाई बीमारी से ग्रसित है और वर्तमान में उनके परिवार में कुल पांच सदस्य हैं जिनमें प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं सम्मिलित है जिनमें पिता मदनलाल, दादी कंकू बाई एवं प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी साथ में निवास कर रहे हैं।

इस संदर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह तथ्य भी आया है कि प्रार्थी के पिता ने अपनी स्वयं की तबीयत खराब होना बताया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की यह अंतरिम जमानत, प्रार्थी/अभियुक्त के जेल से रिहा करने की तिथि से एक माह की अवधि के लिए स्वीकार की जाती है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के संतोषप्रद 1,00,000/—रुपए (अक्षरे एक लाख रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व 50,000—50,000/— रुपए (अक्षरे पचास—पचास हजार रुपए) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान शांति व सद्व्यवहार बनाए रखेगा एवं अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर वह पुनः संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त **गोवर्धन पुत्र मदन लाल जाट** को अविलम्ब अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा उक्त नियत अवधि में पुनः संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने या नहीं करने की सूचना संबंधित जेल के सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विचारण न्यायालय व इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J